"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2003—कार्तिक 9, शक 1925

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2003

क्रमांक 1955-A/2003/1-8.—श्री जे. के. एस. राजपूत (मूलतः जिला एवं सत्र न्यायाधीश), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग की सेवाएं, उनके द्वारा कार्यभार छोड़ने के दिनांक से उनके पैतृक विभाग विधि एवं विधायी कार्य विभाग को वापस लौटाई जाती है.

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2003

क्रमांक ई-1-17/2003/एक/2.—श्री बी. के. एस. रे (भा. प्र. से. (सी. जी. 1972), अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर की सेवाएं भारत सरकार, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना मंडल के पद पर नियुक्ति के लिये सौंपी जाती है.

2. श्री रे के कार्यमुक्त होने पर श्री नारायण सिंह, भा. प्र. से., सदस्य, राजस्व मंडल, बिलासपुर अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

साथ आगामी आदेश तक अतिरिक्त रूप से अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर का कार्य संपादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2003

क्रमांक ई-1/5/2003/एक/2.—डॉ. इंदिरा मिश्रा, भा.प्र.से. (1969) अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं समन्वयक, महिला कल्याण कार्यक्रम, को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, संस्कृति विभाग का कार्यभार भी सौंपा जाता है.

2. डॉ. के. के. चक्रवर्ती, भा.प्र.से. (1970) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन, संस्कृति एवं शिक्षा विभाग को तत्काल प्रभाव से अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन, संस्कृति एवं शिक्षा विभाग के कार्यभार से मुक्त किया जाता है.

3. श्री शिवराज सिंह, भा.प्र.से. (1973) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ वन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2003

क्रमांक ई-1/6/2003/एक/2.—श्री व्ही. के. कपूर, भा.प्र.से. (1972) संचालक, कोष, लेखा, राज्य लाटरीज और अल्प बचत एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग को प्रमुख सचिव के वेतनमान 22400-525-24500 में दिनांक 23-5-2003 से पदोन्नत किया जाता है तथा उन्हें संचालक, कोष, लेखा, [illegible] लाटरीज और अल्प बचत एवं पदेन प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ [illegible]सन, [illegible]त्त एवं योजना विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

[illegible] [illegible]र्यु[illegible]नुसार श्री कपूर की पदोन्नति प्रमुख सचिव के वेतनमान [illegible] फ[illegible]स्वरूप भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, [illegible] नि[illegible]-[illegible] के तहत राज्य शासन संचालक, कोष, लेखा, [illegible]रीज और अल्प बचत के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं [illegible]द[illegible] में [illegible]मुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष [illegible] करता है.

3. श्री सु[illegible]त कुमार, भा. प्र. से. (1979) सचिव, मुख्यमंत्री एवं सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सूचना प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नालॉजी एवं जनसंपर्क विभाग को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, प्रमुख सचिव के वेतनमान 22400-525-24500 में पदोन्नत किया जाता है तथा उन्हें प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सूचना, प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नालॉजी एवं जनसंपर्क विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्र, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2003

क्रमांक एफ-02-13/2001/1-8.—श्री गिरीशचन्द्र बाजपेयी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर) की सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा इस विभाग को सौंपी जा रही है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2003

क्रमांक 844/2003/1-8/स्था.—श्री एम. डी. कावरे, अवर सचिव, गृह विभाग को दिनांक 2-9-2003 से 27-9-2003 तक 26 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. डी. कावरे को अवर सचिव, गृह विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. डी. कावरे अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, गृह विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2003

क्रमांक 2171/1821/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—श्री सुब्रत साहू, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन, शिक्षा एवं संस्कृति विभाग को दिनांक 13-10-2003 से 14-11-2003 तक (33 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 11-12/10/2003 एवं 15-16/11/2003 का शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुब्रत साहू को आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन, शिक्षा एवं संस्कृति विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सुब्रत साहू को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुब्रत साहू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री सुब्रत साहू के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री आर. पी. जैन, उप सचिव, वित्त एवं योजना विभाग अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ संपादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2003

क्रमांक 2133/1703/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—श्री सुनील कुमार कुजूर, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं पदेन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, रायपुर को दिनांक 23-8-2003 से 6-9-2003 तक (कुल 15 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही दिनांक 7-9-2003 को शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार कुजूर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं पदेन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री सुनील कुमार कुजूर को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुजूर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2003

क्रमांक एफ-1-19/2003/1/6.—श्री सी. बी. बाजपेयी, उप-सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग जिनकी सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा इस विभाग को सौंपी गई हैं, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से विधिक सलाहकार, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री एच. आर. गुरूपंच, विधिक सलाहकार राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों, रायपुर की सेवाएं उनके द्वारा कार्यभार सौंपने के दिनांक से, उनकी पैतृक विभाग विधि एवं विधायी कार्य विभाग को वापस लौटाई जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर अवर सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2003

क्रमांक एफ 15-138/2002/नौ/17.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18-6-2003 के द्वारा डॉ. जे. एस. बैस, प्रभारी संयुक्त संचालक (एड्स) को राज्य में फार्मासिस्टों का प्रथम रजिस्टर तैयार करने के लिये गठित पंजीयन अधिकरण (रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल)का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया था. अब राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. ए. कदीर, सेवानिवृत्त, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उक्त अधिकरण का रजिस्ट्रार नियुक्त करता है.

2. तद्नुसार डॉ. कदीर शासकीय सेवक न होकर पंजीयन अधिकरण के कर्मचारी होंगे तथा उनका वेतन निर्धारण अधिकरण द्वारा अपनी बैठक में निर्धारित किया जावेगा एवं भुगतान भी अधिकरण की निधि से किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. वर्मा, अवर सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2003

क्रमांक एफ-9-54/गृह/दो/03.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 21 जुलाई, 2003 को प्रश्नपत्र "दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया प्रथम एवं द्वितीय" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्नपत्र में अपेक्षित स्तर/अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप उक्त परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

स.क्र.	नाम	पदनाम	प्रश्नपत्र	स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	कलेक्टर बिलासपुर			
1.	श्री वेदराम चतुर्वेदी	राजस्व निरीक्षक	द्वितीय	निम्नस्तर

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2003

क्रमांक एफ-9-73/गृह/दो/03.—भू-अभिलेख, सहायक प्रशासन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई, 2003 को प्रश्नपत्र "सिविल विधि तथा प्रक्रिया" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	सश्रेय	
	कलेक्टर रायपुर	
1.	श्री कमल प्रीत सिंह	सहायक कलेक्टर

स.क्र.	नाम	पदनाम	प्रश्नपत्र	स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	निम्नस्तर			
	कलेक्टर रायपुर			
2.	श्री शरदचंद यादव	राजस्व निरीक्षक		
3.	श्री थानसिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक		
4.	श्री नारायण लाल साहू	राजस्व निरीक्षक		

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

क्रमांक एफ-9-77/गृह/दो/03.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई, 2003 को प्रश्नपत्र "स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	कलेक्टर बिलासपुर	
1.	कु. पुष्पा किरण कुजूर	परियोजना अधिकारी
	निम्नस्तर	
	कलेक्टर रायपुर	
1.	कु. हेमान्द्री साहू	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.
2.	श्रीमती तुलसी जायसवाल	पर्यवेक्षक
3.	श्रीमती विजय लक्ष्मी माथुर	पर्यवेक्षक
4.	श्रीमती इन्द्रावती साहू.	पर्यवेक्षक
5.	श्रीमती शीला एक्का	पर्यवेक्षक

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

क्रमांक एफ-9-97/गृह/दो/03.—सहायक कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक, भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकासखण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन

अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकासखण्ड अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25-7-2003 को प्रश्नपत्र "पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	कलेक्टर बस्तर	
1.	कु. सतरूपा साहू	राजस्व निरीक्षक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2003

क्रमांक 6425/1795/21-अ/स्था./03.—राज्य शासन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 311/11-2-17/2001/गोप./2003, दिनांक 1-10-2003 के परिप्रेक्ष्य में इस विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ श्री सी. बी. बाजपेयी, उप-सचिव विधि और विधायी कार्य विभाग की सेवाएं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर के विधिक सलाहकार के पद हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को एतद्द्वारा सौंपी जाती है. तद्नुसार सामान्य प्रशासन विभाग एवं श्री एच. आर. गुरूपंच, विधिक सलाहकार, की सेवाएं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों, रायपुर से वापिस लेकर इस विभाग को सौंपने की कार्यवाही करें.

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2003

फा. क्रमांक 6433/डी-1788/21-ब/छ. ग./2003.—श्री गिरीश चन्द्र बाजपेयी उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अंबिकापुर), छ. ग. की सेवाएं सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर, छ. ग. के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक सामान्य प्रशासन विभाग, छ. ग. शासन, को सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शकुन्तला दास, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2003

क्रमांक 6489/डी-4436/21-ब/2003.—स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का संख्यांक-6) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से राज्य सरकार एतद्द्वारा अनुसूची के कालम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को कालम (3) में उल्लिखित स्थान पर पदस्थ करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	पदस्थ अधिकारी का नाम (2)	जिले का नाम (3)
1.	श्री जे. के. एस. राजपूत	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा.
2.	श्री रघुवीर सिंह	जशपुर

Raipur, the 10th October 2003

No. 6489/D-4436/21-B/2003.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985) and with the concurrence of the Hon'ble Chief Justice of High Court of Chhattisgarh, the State Government hereby appoints the following officers as specified in column (2) in the corresponding entries in column (3) of the said Schedule, namely :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Posted Officer (2)	Name of the District (3)
1.	Shri J. K. S. Rajput	Dakshin Bastar, Dantewara.
2.	Shri Raghuvir Singh	Jashpur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अति. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 19 सितम्बर 2003

क्रमांक 1385/ले. पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	नांहदा	0.81	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	नांहदा जलाशय के बायीं नहर में अर्जित करने बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मु. दुर्ग) में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2003

अ. वि. अ. रायपुर/भू-अर्जन/प्र. क्र. 07-अ-82/वर्ष 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	अमेठी प.ह.नं. 58/25	27.57	कार्यपालन यंत्री, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग रायपुर.	ग्राम अमेठी प.ह.नं. 58/25 तहसील आरंग को निजी भूमि को राजीव आगमेन्टेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत मेन केनाल के निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2003

अ. वि. अ. रायपुर/भू-अर्जन/प्र. क्र. 08-अ-82/वर्ष 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	रानीसागर प.ह.नं. 51/39	16.37	कार्यपालन यंत्री, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग रायपुर.	ग्राम रानीसागर प.ह.नं. 51/39 तहसील आरंग को निजी भूमि को राजीव आगमेन्टेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत मेन केनाल के निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2003

अ. वि. अ. रायपुर/भू-अर्जन/प्र. क्र. 09-अ-82/वर्ष 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	गुदगुदा प.ह.नं. 57/41	24.22	कार्यपालन यंत्री, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग रायपुर.	ग्राम गुदगुदा प.ह.नं. 57/41 तहसील आरंग की निजी भूमि को राजीव आगमेन्टेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत मेन केनाल के निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 11 सितम्बर 2003

क्रमांक /भू-अर्जन/2003/7841.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मण्डला, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.46 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
15/1	0.03
55	0.10
15/2	0.06
10/1	0.16
17/1	0.08
54	0.09
50	0.05
183	0.16
49	0.03
59	0.14
48	0.02
182/8	0.05
58	0.16
182/9	0.06
241/1	0.14
242/1	0.13
योग	1.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पिपरिया जलाशय के अंतर्गत मंडला सब माइनर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 8 अगस्त 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-जामावाड़ा, प. ह. नं. 57
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.121 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
234/10	0.121
योग	0.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जामावाड़ा-मुरमा मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 8 अगस्त 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/2/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-जाटम, प. ह. नं. 58
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.187 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
91	0.28
92/1	0.045
96/2	0.191
96/1	0.045
93	0.012
65/4	0.243
66/1	0.077
63/1 छ	0.081
65/1 घ	0.081
65/1 च	0.012
65/75	0.089
65/16	0.081
7	0.113
65/1 ग, 65/1 क	0.089
योग	1.187

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डोगाम जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा कार्यपालन यंत्री, टी. डी. पी. पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 8 अगस्त 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/3/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-करनपुर, प. ह. नं. 53
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.095 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
355	0.186
346/2	0.040
352/1	0.049

(1)	(2)
346/1	0.040
346/3	0.040
346/4	0.032
343/1	0.041
344	0.065
352/1	0.073
352/1	0.036
352/2	0.081
348	0.012
359	0.049
345	0.150
229/1	0.093
291	0.012
358/2	0.036
298	0.020
290	0.016
351	0.138
358/1	0.081
360/1	0.057
361/1	0.142
285/1	0.077
285/2	0.065
262/2	0.081
282	0.198
280/4	0.057
280/1	0.219
230	0.203
280/2	0.154
280/3	0.158
248	0.012
249	0.320
250	0.316
242/2	0.049
240	0.077
241	0.247
231/1	0.348
284	0.024
योग	4.095

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भालुगुड़ा उद्वहन सिंचाई योजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा कार्यपालन यंत्री, टी. डी. पी. पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 8 अगस्त 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/4/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-तुसेल, प. ह. नं. 59
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.220 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/8, 81	0.024
82	0.263
87, 88/1	0.041
87, 88/2	0.315
89/1	0.468
1/8, 81	0.299
35/2	0.073
83/1	0.101
83/2	0.117
85/1	0.072
87, 88	0.161
89/1	0.161
89/1	0.202
31	0.041
32	0.283
35/2	0.112
85/2	0.032
85/1	0.073
78	0.291
84	0.073
योग	3.220

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तुसेल जलाशय, नहर, स्पिल चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा कार्यपालन यंत्री, टी. डी. पी. पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 8 अगस्त 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/5/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-घाटपदमुर/कुम्हरावन्ड, प. ह. नं. 61
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.814 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम-घाटपदमुर	
333/1	0.234
333/13	0.202
333/2	0.093
337/1	0.165
241/1	0.012
199/17	0.198
199/16, 222, 245	0.274
212/1	0.073
199/3, 212/2	0.120
199/4 क	0.085
199/11	0.076
194/2, 195	0.109
196/1, 196/10	0.048
79/1	0.117
80/2	0.040
ग्राम-कुम्हरावण्ड	
302/1	0.125
302/5	0.081
303	0.243
योग	1.814

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुम्हरावण्ड उद्वहन सिंचाई योजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा कार्यपालन यंत्री, टी. डी. पी. पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 26 अगस्त 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/22/अ-82/93-94.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मावलीपदर, प. ह. नं. 76
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.363 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
116, 120	0.101
119	0.262
योग	0.363

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मावलीपदर पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 4 जून 2003

क्रमांक 4/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-पिपलामार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.044 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
131/1	0.186
183	0.032
131/3	0.065
102	0.073
121	0.231
122	0.024
123	0.004
135	0.316
136	0.113
योग 7	1.044

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अपर खुज्जी जलाशय शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 जून 2003

क्रमांक 7/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-सकोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.048 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
194	0.073
195	0.053
12	0.138
10/1, 10/2	0.121
14	0.121
2/2	0.036
4	0.061
165	0.138
2/3	0.012
11	0.020
163	0.061
164	0.162
3	0.036
5	0.016
योग 14	1.048

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोवर सोन व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 जून 2003

क्रमांक 49/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-कुदरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.016 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
785/2	0.081
738/1	0.020
685/2	0.040
685/4	0.101
689	0.016
683/6	0.061
738/2	0.061
679/2	0.045
785/3	0.077
782/1	0.105
782/2	0.105
683/3	0.057
685/1	0.101
690/1	0.146
योग 14	1.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अपर खुज्जी जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड जिला बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 जून 2003

क्रमांक 50/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-पंडरीखार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.902 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
278/2	0.024
43	0.040
40/2	0.069
95/1	0.162
263/1	0.057
291	0.174
35/2	0.077
35/1	0.077
48	0.008
85	0.109
96/3	0.081
62/1	0.053
62/6	0.170
123/2	0.036
276/2	0.057
42	0.121
56	0.210
276/1	0.053
278/1	0.024
47/1	0.053
49/1	0.227
95/2	0.004

(1)	(2)
97/1	0.117
51/1	0.057
57/1	0.138
63	0.125
277	0.032
41	0.053
62/7	0.061
49/2	0.085
275/1	0.134
289/2	0.194
35/1	0.020
योग	2.902

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अपर खुज्जी जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 जून 2003

क्रमांक 51/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-पिपलामार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.450 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
319/3	0.024
392	0.053
657/1	0.105
635	0.073
319/2	0.008
319/4	0.036
320/1	0.024
321	0.012
256	0.065
163/1	0.008
329/1	0.024
503/2, 504/2	0.073
403/1	0.061
161	0.045
290/3	0.085
322/1	0.036
290/1	0.085
654/6	0.045
330	0.093
249/2	0.065
656/1	0.045
296/2	0.085
654/5	0.045
260/1 घ, 260/1 ख	0.028
290/2	0.032
294/1, 294/3	0.134
322/2, 325	0.028
388, 389	0.093
479	0.045
634	0.057
295	0.113
394/1	0.121
296/3	0.008
654/4	0.081
322/3 क, 323/1 क, 324/1 क	0.016
318/1	0.053
391	0.016
252	0.053
656/2	0.045
326	0.138
249/1	0.194
योग 39	2.450

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अपर खुज्जी जलाशय शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 जून 2003

क्रमांक 55/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-झगराखांड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.363 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
577/1	0.129
580/2	0.129
579/2	0.222
571/50	0.165
571/40	0.137
571/63	0.064
571/43	0.085
571/45	0.056
571/37	0.109
2/1	0.267
44/1	0.109
5/3	0.279
7/3	0.089
7/2	0.068
7/1	0.195
6/2	0.064
44/5	0.121
57	0.109
56/1	0.056
56/3	0.056
56/4	0.101
54/2	0.040
54/1	0.093
155/8	0.040
53/2	0.068
53/1	0.069
73/5	0.040
76	0.137
20/1	0.069
78/1	0.056
79	0.056
357/3	0.085
योग 32	3.363

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मल्हनिया जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 जून 2003

क्रमांक 59/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-तेन्दूमूड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.060 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
301/1	0.137
300/1	0.044
303	0.311
304/3	0.279
305	0.129

(1)	(2)
291/5	0.166
289/3	0.226
281/2	0.210
279	0.105
278/1	0.089
278/2	0.044
291/3	0.113
281/1	0.207
योग 13	2.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मल्हनिया जलाशय शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 अगस्त 2003

क्रमांक 29/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-घुसरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.514 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
295/1	0.036
402	0.069
296/7	0.109
391/1	0.069
426/2	0.016
354/5	0.016
362	0.045
363/1	0.008
305/1	0.146
20/1	0.174
20/2	0.170
10/1, 11/1, 11/3	0.121
19/2	0.008
300/2, 293/1	0.008
401	0.069
265/3	0.093
296/5	0.109
314/1, 315/1	0.125
364	0.053
427	0.057
428	0.081
403	0.138
80/3	0.057
305/2	0.142
360/1	0.008
434, 435	0.081
437	0.166
23/2	0.210
55/2	0.097
295/2	0.012
365/2	0.223
366/2	0.105
80/1	0.057
298/1	0.117
314/2, 315/2	0.121
298/2	0.117
266	0.020
82	0.138
406/1	0.081
413/1	0.057
407	0.040
356/2	0.109
360/2	0.008
361/2	0.077
392/1	0.097
405/1	0.028
8/2	0.089
406/2	0.081

(1)	(2)
413/2	0.061
10/2	0.089
423	0.214
422/2	0.028
422/3	0.028
304/2	0.032
योग 51	4.514

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झिरियानाला जलाशय नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2003

क्रमांक क भू-अर्जन/प्र. क्र. 26/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-टिकरी (टिकरी माइनर)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.320 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
184	0.089
183	0.093
202, 203, 204	0.089
205	0.049
योग 4	0.320

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोंघा जलाशय के नहर निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2003

क्रमांक क भू-अर्जन/प्र. क्र. 28/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-अमने
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.010 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
513	0.053
187	0.020
188/1	0.032
194/2	0.032
194/1	0.028
195	0.020
196	0.040
199	0.004
198	0.061
266/2	0.113

(1)	(2)
237	0.004
236	0.061
210	0.057
211	0.012
231	0.065
232	0.040
229	0.028
228	0.016
227	0.073
222	0.012
265/1	0.040
1271/2	0.049
1271/4, 1271/3, 1271/5	0.138
753	0.012
योग	1.010

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोंघा जलाशय के नहर निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2003

क्रमांक क भू-अर्जन/प्र. क्र. 29/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-अमने
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.266 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
94/1	0.219
95	0.028
94/3	0.069
94/2	0.101
24/1	0.040
24/2	0.089
24/8	0.097
24/9	0.117
19/3	0.040
19/2	0.040
18/5	0.049
18/1	0.045
16	0.091
14	0.065
13	0.036
12/2	0.049
11	0.069
10/2, 10/3	0.032
योग	1.266

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोंघा जलाशय के नहर निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2003

क्रमांक क /भू-अर्जन/प्र. क्र. 31/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-टिकरी (उमरिया माइनर)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.125 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
186	0.125
योग	0.125

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोंघा जलाशय के नहर निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2003

क्रमांक क भू-अर्जन/प्र. क्र. 30/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-लमकेना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.914 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
37/1	0.061
37/2	0.028
37/3	0.016
92/1, 93	0.028
91	0.036
88, 101, 105/1	0.077
106	0.016
107	0.020
108/1	0.004
108/2	0.045
109	0.125
111	0.004
140	0.008
141	0.012
142	0.012
145/3	0.061
145/4	0.065
146	0.016
299/1, 299/2, 300	0.081
301/1	0.045
302	0.036
273	0.089
105/2	0.012

(1)	(2)
171	0.008
173/1	0.008
योग	0.914

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोंघा जलाशय के नहर निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 1 अगस्त 2003

क्रमांक 4961/भू-अर्जन/2/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा
 (ख) तहसील-दन्तेवाड़ा
 (ग) नगर/ग्राम-कुम्हाररास, प.ह.नं. 15
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.639 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
184/5	0.040
184/2 ख	0.729
184/23 घ	0.486
184/23 ग	0.364
184/23 क	0.202
184/22	0.182
173, 174, 180, 190, 191/1	0.040
173, 174, 180, 190, 191/2	0.048
173, 174, 180, 190, 191/3	0.270
175	0.061
172	0.081
168, 169, 179	0.299
166	0.024
184/27 क	0.162
184/24	0.550
184/1 छ	0.162
184/1 ख	0.210
129	0.081
184/1 ज	0.121
133/2	0.526
योग	4.639

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-कुम्हाररास जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, दन्तेवाड़ा एवं भू-अर्जन अधिकारी, दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. पैकरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 अक्टूबर 2003

क्र. 5/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जांजगीर

(ग) नगर/ग्राम-जांजगीर, प. ह. नं. 41

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	3952/30	0.032
योग		0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-जांजगीर-चांपा बाइ-पास सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी-राजस्व, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2003

क्रमांक क/खलि/खुघो/2003.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के तहत रायपुर जिला स्थित सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 (तीस) दिन पश्चात् उत्खनिपट्टा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध रहेगा. आवेदन-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् आवेदित क्षेत्र के चूनापत्थर खनिज का रासायनिक विश्लेषण संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा कराया जावेगा और विधिवत् लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

ग्राम का नाम	प. ह. नं.	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खपरीडीह	18	कसडोल	154/1/1क	3.00 एकड़	श्री धरमसिंह केंवट को स्वीकृत उत्खनिपट्टा निरस्त होने के कारण (शासकीय भूमि).

सी. के. खेतान,
कलेक्टर.

कार्यालय, सहायक आयुक्त आबकारी, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2003

क्रमांक आब/बकाया/2003/3883.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है कि आबकारी विभाग जिला-रायपुर के निम्नांकित बकायादार के नाम से उनके नाम के सामने दर्शाई गई राशि की वसूली की जाना है. अत: उनकी चल/अचल संपत्ति के बारे में विज्ञप्ति प्रकाशन के 1 माह के भीतर जानकारी देकर शासकीय राशि की वसूली में सहयोग दें.

क्रमांक (1)	बकायादार का नाम (2)	नाम दुकान (3)	बकाया वर्ष (4)	बकाया राशि (5)
1.	श्री केशव पाल व. श्री हलाल पाल ग्राम-केसला, तहसील-खरोरा, जिला-रायपुर.	वि. म. दु. राजेन्द्र नगर रायपुर.	2002-03	20,96,151/-

एम. आर. ठाकुर,
अति. तहसीलदार आबकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 2972/दो-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 5-5-2003 से दिनांक 9-5-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4-5-2003 एवं पश्चात् में दिनांक 10-5-2003 एवं 11-5-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोणकर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोणकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 227 + 10 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 2974/दो-2-40/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री रघुवीर सिंह, विशेष न्यायाधीश, एट्रोसिटीज अंबिकापुर, सरगुजा को दिनांक 12-5-2003 से दिनांक 14-5-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 3 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10-5-2003 एवं 11-5-2003 एवं पश्चात् में दिनांक 15-5-2003 एवं 16-5-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रघुवीर सिंह को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रघुवीर सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 240 + 12 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 2976/दो-2-40/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री रघुवीर सिंह, विशेष न्यायाधीश, एट्रोसिटीज, सरगुजा स्थान अंबिकापुर को दिनांक 9-6-2003 से दिनांक 13-6-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14-6-2003 एवं 15-6-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रघुवीर सिंह को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

लघुकृत अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रघुवीर सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 258 दिवस का अर्ध वेतन अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 2978/दो-2-36/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री टी. पी. शर्मा, विशेष न्यायाधीश, एस. सी. एस. टी. एक्ट, दुर्ग को दिनांक 19-6-2003 से दिनांक 30-6-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 12 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री टी. पी. शर्मा को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री टी. पी. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 240 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 2980/दो-2-27/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री दिलीप भट्ट, कार्यवाहक जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ. ग.) को दिनांक 16-6-2003 से दिनांक 26-6-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 11 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14-6-2003 एवं 15-6-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दिलीप भट्ट को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिलीप भट्ट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 237 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
बी. के. श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल.

बिलासपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6342/दो-2-15/2002.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री अशोक पण्डा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (डी. ई.) उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 5-8-2002 से दिनांक 10-8-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4-8-2002 एवं पश्चात् में दिनांक 11-8-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अशोक पण्डा को अतिरिक्त रजिस्ट्रार (डी. ई.) उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ, बिलासपुर पुनः पद स्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक पण्डा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त रजिस्ट्रार (डी. ई.) पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6344/दो-2-63/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री बी. के. श्रीवास्तव, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 30-6-2001 से दिनांक 28-7-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 29 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29-7-2001 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. के. श्रीवास्तव को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी को उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. के. श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6348/दो-2-7/2002.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री टी. के. झा, रजिस्ट्रार (सतर्कता), उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 28-1-2002 से दिनांक 1-2-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का लघुकृतअवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री टी. के. झा को रजिस्ट्रार (सर्तकता) उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

लघुकृत अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री टी. के. झा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (सतर्कता) के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6350/दो-3-19/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री संदीप बक्शी, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक), उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 26-3-2002 से दिनांक 28-3-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 3 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23-3-2002 से 25-3-2002 एवं पश्चात् में दिनांक 29-3-2002 से 30-3-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री संदीप बक्शी को अतिरिक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संदीप बक्शी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6352/दो-3-19/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री संदीप बक्शी, विशेष न्यायाधीश, रायपुर को दिनांक 16-10-2002 से दिनांक 31-10-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 16 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1-11-2002 से 6-11-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री संदीप बक्शी, विशेष न्यायाधीश को रायपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

लघुकृत अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संदीप बक्शी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6472/दो-2-78/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती शकुन्तला दास जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को दिनांक 25-11-2002 से दिनांक 30-11-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24-11-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शकुन्तला दास को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शकुन्तला दास उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

बिलासपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6474/दो-14-52/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री अखिलेश्वर सिंह तंवर, लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 22-10-2001 से दिनांक 24-10-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 3 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20-10-2001 व 21-10-2001 एवं पश्चात् में दिनांक 25-10-2001 से 28-10-2001 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश्वर सिंह तंवर को लेखा अधिकारी उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश्वर सिंह तंवर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6476/दो-14-52/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री अखिलेश्वर सिंह तंवर, लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर को दिनांक 22-1-2002 से दिनांक 25-1-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 4 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26-1-2002 व 27-1-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश्वर सिंह तंवर को लेखा अधिकारी उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश्वर सिंह तंवर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6478/दो-14-52/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री अखिलेश्वर सिंह तंवर, लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 29-1-2002 से दिनांक 4-2-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 7 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश्वर सिंह तंवर को लेखा अधिकारी उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश्वर सिंह तंवर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6480/दो-14-52/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री अखिलेश्वर सिंह तंवर, लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 18-4-2002 से दिनांक 24-4-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 7 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25-4-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश्वर सिंह तंवर को लेखा अधिकारी उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश्वर सिंह तंवर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो लेखा अधिकारी, के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6482/दो-14-52/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री अखिलेश्वर सिंह तंवर, लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर को दिनांक 8-6-2002 से दिनांक 14-6-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 7 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश्वर सिंह तंवर को लेखा अधिकारी उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश्वर सिंह तंवर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6484/दो-3-12/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री सी. एस. पारे, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 19-11-2001 से दिनांक 30-11-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 12 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री सी. एस. पारे को अतिरिक्त रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी. एस. पारे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6486/दो-3-12/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री सी. एस. पारे, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 9-1-2002 से दिनांक 23-1-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 15 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री सी. एस. पारे को अतिरिक्त रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी. एस. पारे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6488/दो-3-12/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री सी. एस. पारे, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 25-11-2002 से दिनांक 30-11-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24-11-2002 एवं पश्चात् में दिनांक 1-12-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सी. एस. पारे को अतिरिक्त रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी. एस. पारे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6490/दो-3-20/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. आर. एल. नारायणा, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 13-6-2001 से दिनांक 28-6-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 16 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. आर. एल. नारायणा को डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. आर. एल. नारायणा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6492/दो-3-20/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. आर. एल. नारायणा, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 16-10-2002 से दिनांक 19-10-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 4 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12-10-2002 से 15-10-2002 एवं पश्चात् में दिनांक 20-10-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. आर. एल. नारायणा को डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. आर. एल. नारायणा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
के. पी. एस. नायर, डिप्टी रजिस्ट्रार.

निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 28 मई 2003

क्रमांक 3/99/4/99/याचिका/987.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 82/छ.ग./वि.स./30/99/2003 दिनांक 1 मई, 2003 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-
(डॉ. के. के. चक्रवर्ती)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
छत्तीसगढ़.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 1 मई, 2003—11 वैशाख, 1925 (शक)

अधिसूचना

सं. 82/छ. ग./30/99/2003.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग वर्ष 1999 की निर्वाचन अर्जी सं. 30 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर बैंच के तारीख 18-2-2003 के आदेश को एतद्द्वारा प्रकाशित करता है.

आदेश से,
हस्ता./-
(आनन्द कुमार)
निदेशक (प्रशासन)-सह-प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, Dated 1st May, 2003—11 Vaisakha, 1925 (Saka)

NOTIFICATION

No. 82/CG-LA/30/99/2003.—In pursuance of Section 106 of Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951). The Election Commission hereby publishes the Judgement/Order of the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur dated 18-2-2003 in Election Petition 30 of 1999.

By order,
Sd/-
(ANAND KUMAR)
Director (Administration)-Cum-Principal Secretary,
Election Commission of India.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT JABALPUR

ELECTION PETITION No. 30 of 1999

PETITIONER : BHULESHWARI DEEPA SAHU, Widow of Late Pyarelal Sahu aged 45 years R/o Village Khisora, P. O. HASDA No. 1, TAHSIL KURUD, DISTRICT DHAMTARI (M. P.).

VERSUS

RESPONDENTS 1. AJAY CHANDRAKAR (DALA), Son of Kali Ram Chandrakar aged about 40 years, R/o Kurmipara Ward No. 5, Kurud, Tahsil Kurud, District Dhamtari (M. P.).

2. GOPI KRISHAN SAHU, Son of not known aged about 32 years R/o Village Supela, P.O. Semara (Narottam), District Dhamtari (M. P.)

3. DINESH, Son of Late Bansilal Sharma aged 30 years, R/o Gandhi Chowk, Kurud Tahsil Kurud, District Dhamtari (M. P.).

4. HARI SHANKER SAHU, Son of not known aged 32 years R/o Village Chhura, P. O. Kurud, Tahsil Kurud, District Dhamtari (M. P.).

ELECTION PETITION UNDER SECTION 80, 80-A AND 81 OF THE REPRESENTATION OF PEOPLE ACT, 1951, CHALLENGING THE ELECTION OF MR. AJAY CHANDRAKAR (RESPONDENT No. 1 HER IN) TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE STATE OF M.P. FROM THE SINGLE MEMBER KURUD CONSTITUENCY No. 144, RESULT OF WHICH WAS DECLARED ON 28-11-1998 BY THE DISTRICT RETURNING OFFICER DHAMTARI (M. P.).

HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR

ELECTION PETITION No. 30 OF 1999

Bhuleshwari Deepa Sahu

Versus

Ajay Chandrakar (Dala)

ORDER

Post for 14-2-2003
Sd/-
L. C. BHADOO.
Judge.
18-2-2003

HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR

ELECTION PETITION No. 30 OF 1999

Bhuleshwari Deepa Sahu

Versus

Ajay Chandrakar (Dala)

Petitioner by Shri Ashok Patil, Advocate.
Respondent No. 1 by Shri R. S. Patel, Advocate.
None for other respondents.

ORDER

Hon'ble Fakhruddin, J

Heard on I.A. No. 6748/2002 for withdrawal of Election Petition and I.A. No. 6747/2002 for withdrawal of the security amount.

2. Copy has been supplied. According to the office report notice has been duly published in Hindi daily "Navbharat".

3. In this connection, sections 110 and 111 of the Representation of the People Act, 1951 are relevant here and quoted below :—

"110. Procedure for withdrawal of election petitions.—(1) If there are more petitioners than one no application to withdraw an election petition shall be made except with the consent of all petitioners.

(2) No application for withdrawal shall be granted if, in the opinion of the High Court, such application has been induced by any bargain or consideration, which ought not to be allowed.

(3) If the application is granted—

(a) the petitioner shall be ordered to pay the costs of the respondents therefore incurred or such portion thereof as the High Court may think fit;

(b) the High Court shall direct that the notice of withdrawal shall be published in the Official Gazette and in such other manner as it may specify and thereupon the notice shall be published accordingly;

(c) a person who might himself have been a petitioner may, within fourtteen days of such publication, apply to be substituted as petitioner in place of the party withdrawing, and upon compliance with the conditions, if any, as to security, shall be entitled to be so substituted and to continue the proceedings upon such terms as the High Court may deem fit.

111. Report of withdrawal by the High Court to the Election Commission. When an application for withdrawal is granted by the High Court and no person has been substituted as petitioner under clause (c) of sub-section (3) of section 110, in place of the party withdrawing, [the High Court] shall report the fact to the Election commission [and thereupon the Election Commission shall publish the report in the Official Gazette.]"

4. Having heard the learned counsel for the parties, material on record, it does not appear that the application for withdrawal of the election petitions been induced by any bargain or consideration. I.A. No. 6748/02 is allowed.

5. Since the application for withdrawal has been allowed and no person has been substituted as petitioner under clause (c) of sub-section (3) of Section 110 of the Representation of People Act,. 1951, in place of petitioner withdrawing the petition from this Court, it is directed that the Addl. Registrar (Judl.) shall report the fact to the Election Commission and the Election Commission to do the needful as required under Section 111 of the Representation of People Act.

6. Accordingly, the petition is dismissed as withdrawn, subject to cost of Rs. 500/- payable to respondeent No. 1.

7. The outstanding amount of security be refunded to the petitioner.

8. I. A. No. 6747/02 also stands disposed of

C.C. as per rules.

Sd/-
FAKHRUDDIN
JUDGE.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 14 मई, 2003—24 वैशाख, 1925 (शक)

अधिसूचना

सं. 154/छत्तीसगढ़/2003.-का. प्रशासन.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा श्री अजय सिंह, आई. ए. एस. के स्थान पर डॉ. के. के. चक्रवर्ती, आई. ए. एस. (1970) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है.

2. डॉ. के. के. चक्रवर्ती को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ के रूप में कार्य करते हुए सचिव, शिक्षा, वन एवं संस्कृति विभाग के पद पर बने रहने की अनुमति दी जाती है. छत्तीसगढ़ राज्य में निर्वाचन की घोषणा के तुरन्त बाद वे उपरोक्त अतिरिक्त प्रभारों को धारण करना समाप्त कर देंगे और तत्काल सौंप देंगे.

आदेश से,
हस्ता/-
(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
अवर सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, Dated 14th May, 2003 24 Vaishaka, 1925 (Saka)

NOTIFICATION

No. 154/CGH/2003-P.Admn.—In exercise of the power conferred by sub-section (I) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) the Election Commission of India in consultation with Government of Chhattisgarh hereby nominates Dr. K. K. Chakravarty, IAS (1970), as the Chief Electoral Officer for the State of Chhattisgarh with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Shri Ajay Singh, IAS.

2. Dr. K. K. Chakravarty while working as Chief Electoral Officer, Chhattisgarh is allowed to retain the charge of Education, Forests and Culture Departments. He shall cease to hold and hand over forhtwith the said additional charges immediately after the announcement of elections in the State of Chhattisgarh.

By order,
Sd/-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Under Secretary.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2003

आदेश

क्रमांक स्था./रानिआ/2003/689.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-5/2003/1/2 दिनांक 3 जुलाई, 2003 के परिपालन में नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु श्री एम. आर. ठाकुर, सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को आज दिनांक 7 जुलाई, 2003 को पूर्वान्ह से भार मुक्त किया जाता है.

श्री एच. यू. खान, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग अपने कार्य के साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, का कार्य भी देखेंगे.

(राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार)

सही/-
उप-सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग.